

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 105/2016

दायर दिनांक: 23.08.2016

उनवान

1. बंदीलाल पुत्र मेरु जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिडावा

- वादी

बनाम

1. प्रभुलाल पुत्र राधाकिशन जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिडावा

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपरिस्थिति -

वकील वादी - श्री मसूद अहमद खान

वकील प्रतिवादी सं. 1 - एकतरफा

प्रतिवादी सं 2 - परोकार सरकार

संशोधित निर्णय

दिनांक : 03.11.2025



पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2025 अनुसार ग्राम धरोनिया के खाता सं. 263 की जमाबंदी सं. 2074-77 की आराजी किता 9 रकबा 2.4282 है। भूमि के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा. 88, 53, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम धरोनिया आराजी में से ख.नं. 691 रकबा 0.0759 है., ख.न. 734 रकबा 0.0379 है. में से पूर्व दिशा 0.0126 है., ख.नं. 1260 रकबा 0.1897 है., ख.न. 1264/2022 रकबा 0.0506 है, ख.न. 1456 रकबा 0.1012 है., ख.न. 1216 रकबा 0.1012 है. में से पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 0.0506 है. एवं ख.नं. 1764 रकबा 1.6314 है. का पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 0.8157 है. भूमि पर वादी बंदीलाल को एवं ख.नं. 500 रकबा 0.1012 है., ख.नं. 734 रकबा 0.0379 है. में से पश्चिम दिशा की 0.0253 है., ख.न. 1297 रकबा 0.1391 है., ख.न.



उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड (राज.)


1216 रकबा 0.1012 में से पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0.0506 है. एवं ख.नं. 1764 रकबा 1.6314 है. का पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0.8157 है भूमि प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल को खातेदार कृषक घोषित किया गया था।

अभिभाषक वादी द्वारा दिनांक 23.07.2025 को धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 26.06.2025 को जारी निर्णय एवं डिक्री में ग्राम धरोनिया के ख.नं. 734 में वादी के हिस्से के रकबे एवं दिशा में संशोधन करने का निवेदन किया है। अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2025 में संशोधन किया जाकर ग्राम धरोनिया आराजी ख.न. 734 रकबा 0.0379 है. में से पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0.0190 है. का वादी बद्रीलाल को तथा पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि की 0.0189 है. भूमि का प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल को खातेदार कृषक घोषित किया गया था। पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




03/11/25
(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

संशोधित डिक्री मुकदमा इबादाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 105/2016

दायर दिनांक: 23.08.2016

उनवान

1. बद्रीलाल पुत्र मेरू जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिडावा

— वादी

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र राधाकिशन जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिडावा

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपरिस्थिति —

वकील वादी — श्री मसूद अहमद खान


वकील प्रतिवादी सं. 1 — एकतरफा

प्रतिवादी सं 2 — पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रूबरू.....X.....

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2025 में संशोधन किया जाकर ग्राम धरोनिया आराजी ख.न. 734 रकबा 0.0379 है. में से पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0.0190 है. का वादी बद्रीलाल को तथा पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि की 0.0189 है. भूमि का प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल को खातेदार कृषक घोषित किया गया था। पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें।


(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ...
...X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX.....
अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 03.11.2025 को जारी किया
गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0